CVC guidelines for organisations

*246. SHRI MOTIUR RAHMAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is mandatory for the organizations under the purview of Central Vigilance Commission to publish every month the summary of contracts/purchases made above a threshold value on their website;

(b) whether most of such organizations are not displaying every month the summary of contracts/purchases made by them above a threshold value on their website;

(c) if so, what action does the Central Vigilance Commission propose to take in the matter; and

(d) the details of the threshold value of each organization?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI SURESH PACHOURI): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As per CVC guidelines, all organizations within the purview of the CVC are required to post a summary every month of all the contracts/ purchases made above a certain threshold value to be decided by Chief Vigilance Officer in consultation with the Head of the Organization.

(b) and (c) The Commission has observed that some organizations are not following the above guidelines and has directed all CVOs to ensure their implementation and to send monthly compliance report to the CVC in this regard. Whenever the CVO report non-implementation by any organisation, the matter is suitably taken up with that organisation for implementation of the instructions.

(d) Each organization has to determine its own threshold value, but as per the CVC guidelines it should cover more than 60% of the value of the transactions of an organization every month.

श्री मोतिउर रहमान: सभापति जी, CVC ने अपने सरकुलर दिनांक 18.11.98 में कहा है कि टेंडर, भ्रष्टाचार की जड़ है और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी होना चाहिए। CVC ने L टेंडर के अलावा किसी और से समझौता वार्ता पर भी रोक

लगा दी है और सभी स्थायी सरकारी महकमों को आदेश दिया है कि वे सभी टेंडर, ठेके आदि की पूरी जानकारी अपने महकमे की वैबसाइट पर पब्लिश करें। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सी आर्गनाइजेशंस CVC की परिधि में आती हैं, जिनके लिए सरकार ने सरकुलर जारी किया था और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री सुरेश पचौरी: सभापति महोदय, यह सही है कि CVC ने समय-समय पर सरकुलर जारी करके इस प्रकार की व्यवस्था दी है, चाहे वह 18.11.98 का सरकुलर हो, चाहे 16 मार्च, 2005 का सरकुलर हो, चाहे 28 जुलाई, 2005 का सरकुलर हो। माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि कौन-कौन सी आर्गनाइजेशंस हैं, जो इस सरकुलर की परिधि में आती हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ऐसी आर्गनाइजेशंस जो इस परिधि में आती हैं, CVC एक्ट का सैक्शन 8(1)(h) है, उसमें इनका उल्लेख किया गया है, फिर भी मैं उनकी सुविधा के लिए बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के अंतर्गत जो विभिन्न मंत्रालय आते हैं, जो कंपनीज आती हैं, जो local authorities हैं जो केन्द्र सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में आती हैं, वे सब इस परिधि में आते हैं।

श्री मोतिउर रहमान: सभापति महोदय, सरकार इतने बड़े भ्रष्ट्राचार को रोकने के लिए कौन-कौन सी कार्यवाही कर रही है और अभी तक CVCको पिछले 3 सालों में सरकारी दफ्तरों में हुई खरीद-फरोख्त में धांधली की कितनी शिकायतें मिलीं और CVC ने उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है?

श्री सुरेश पचौरी: सभापति जी, जैसा मैंने कहा है कि CVC एक्ट, 2003 के सैक्शन, 8(1)(h) के अंतर्गत ये सारी powers and jurisdiction, CVC को दी गई हैं, फिर भी जहां तक administrative ministry का प्रश्न है, यदि CVC के द्वारा इस प्रकार का उल्लेख हमारे मंत्रालय को किया जाएगा, तो निश्चित रूप से, बगैर किसी देरी के हम त्वरित कार्यवाही करेंगे।

Entrance of US based telephone company in India

*247. SHRI TARIQ ANWAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that "Vonage" the US branch telephone company is planning to enter into India by which calling to Canada could become free and US or UK at local rates;

(b) if so, the details thereof; and

(c) Government's reaction thereto and the steps taken in this regard?